

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 29/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 23.06.2021

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री संदीप सोदानी, प्रोपराइटर, मै. देव इंटरनेशनल, 1203, 12 ^{वां} तल अददोर एसपायर, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के निकट, यूनिवर्सिटी रोड पंजारापोल, अहमदाबाद-380015.	फ़ा. सं. DRI/MZU/NS/Enq- 59/2020 दिनांक 12.03.2021.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, मुंबई जोन-II, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-साबरमती. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-सचना.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, मुंबई जोन-II, रायगढ़. (तालिका के क्रम सं. 1 से 4 के लिए)
2.	मै. यूनाइटेड माइनकेम कापेरिशन, प्रोपराइटर, श्री नईम पठान, शॉप सं. 12, III तल, श्रीजी आरकेड,	फ़ा. सं. DRI/MZU/NS/Enq- 58/2020 दिनांक 22.03.2021.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, मुंबई जोन-II, रायगढ़.	

	दिल्ली गेट से बदरपुर रोड, पालनपुर, बनासकांठा, गुजरात-385001.		संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, सूरत कस्टमस	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-साबरमती, कालीगा.	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), मुँदरा.	
3.	मै. माधव एंटरप्राइसेस, प्रोपराइटर, श्री चिन्मय पारीक, प्लॉट सं. E-114, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, केकरी इंडस्ट्रियल एरिया, अजमेर, राजस्थान-305404.	फ़ा. सं. DRI/MZU/NS/Enq- 60/2020 दिनांक 22.03.2021.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, मुंबई जोन-II, रायगढ़.	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-दसरथ, वड़ोदरा.	
4.	श्री नारायण नवनथ गोले, प्रोपराइटर, मै. गुरुकृपा मेटल मार्ट, अल्डर 302, 3 ^{रा} तल, रोज़ वूड हाइट, सैक्टर 10, खरगर-410210.	फ़ा. सं. DRI/MZU/NS/Enq- 66/2020 दिनांक 22.03.2021.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, मुंबई जोन-II, रायगढ़.	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पतली.	
5.	मै. अल्लायंस इंटरनेशनल, SCF-16, 2 ^{रा} तल, सैक्टर-11D, चंडीगढ़-14 और 20 अन्य.	डीआरआई फ़ा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq- 08 (Int-Nil)/2020 दिनांक 08.03.2021 (SCN No. DRI/BZU/12/2021)	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त केंद्रीय कर और सीमाशुल्क, जीएसटी भवन, पोर्ट एरिया, विसाकापतनम. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुँदरा पोर्ट. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई. प्रधान आयुक्त/आयुक्त	अपरमहानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

			सीमाशुल्क, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.
			प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
			प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, हाजीरा पोर्ट, ऑल इंडिया रेडियो के निकट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद.
			प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, कांडला.
			प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, कोंकोर कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर.
			आयुक्त सीमाशुल्क, आईसीडी-पटपरगंज, दिल्ली.

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-13/2021]

(दीपक कुमार)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बैंगलोर और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों और को- नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (ReliedUponDocuments) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें